


2007 - 9079 - II 14
 विधि न्यायालय 215144 मद्रास जमानत, स. 5.



पेसों का प्रमाण क. 2110 II/16 का
 जो क. 3871 II/16 के
 अन्तर्गत है।
 प्रमाण के निरक्षण

पेसों निगरानी प्र. सं. क. 2110 II/16 का
 आदेश दिनांक 6/4/17 के अन्तर्गत
 प्रमाण पेसों नं. 2 से प्रमाण क. 3871 II/16
 अन्तर्गत कर दिया गया
 जहाँ प्र. सं. 2110 II/16 का

Reader
 A

चारों

अन्तर्गत निरक्षण के लिए प्र. सं. क. 3871 II/16

क. 2110 II/16 का प्रमाण (क. 3871 II/16)

2

प्रमाण
 Subramanian
 उद्योग


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक विविध 9077—दो/17

जिला—रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-05-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री आई० पी० द्विवेदी उपस्थित होकर म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 2110—दो/16 में पारित आदेश दिनांक 6.4.17 के पृष्ठ क्रमांक—2 पर निगरानी प्रकरण क्रमांक 3871—दो/16 लिपिकीय त्रुटि से टंकण हो गया है। अतः पृष्ठ क्रमांक 2 पर प्र० क्र० निगरानी 3871—दो/16 के स्थान पर निगरानी प्रकरण क्रमांक 2110—दो/16 किया जावे।</p> <p>2— आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2110—दो/16 में पारित आदेश दिनांक 6.4.17 के पृष्ठ क्रमांक—2 पर निगरानी प्रकरण क्रमांक 3871—दो/16 के स्थान पर प्र० क्र० निगरानी 2110—दो/16 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	